

## राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3437/2022

आनंद कुमार माथुर पुत्र स्वर्गीय श्री नवल किशोर माथुर, आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी 406 ज्ञान विला नंदनवन, सीरघर चोपासनी रोड, वर्तमान में जे.टी.ए. (जूनियर तकनीकी सहायक) पंचायत समिति सुमेरपुर, जिला पाली।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर के माध्यम से।
2. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) एवं जिला कलेक्टर, पाली।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सुमेरपुर, जिला पाली।
6. कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा), पंचायत समिति, रहेट, जिला पाली।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री विकास बिजारनिया

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री ललित पारीक

श्री राजदीप सिंह

## माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

### आदेश (मौखिक)

**22/04/2024**

1. याचिकाकर्ता की शिकायत दिनांक 03.02.2022 (अनुलग्नक 4) के विवादित आदेश के विरुद्ध है, जिसके तहत 1958 के नियम 14 के तहत विभागीय जांच किए बिना ही, उससे क्रमशः 2,73,822/- रुपये, 1,53,160/- रुपये और 2,69,155/- रुपये की राशि वसूलने की मांग की गई है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने शुरू में ही बताया कि याचिकाकर्ता से धन की वसूली के लिए विवादित आदेश विभाग को हुए कथित नुकसान का पता लगाने के लिए कोई पूर्व कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना या सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना या कोई जांच किए बिना पारित किया गया है।
3. उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता राजस्थान राज्य की सेवा में है और राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 द्वारा शासित है और इसके अनुसार, इसमें निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना सरकारी अधिकारी के खिलाफ कोई वसूली नहीं की जा सकती है।
4. अपने तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा हरि किशन शर्मा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य: एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 11560/2019, 22.07.2020 को तय मामले में पारित निर्णय का हवाला दिया है।
5. याचिकाकर्ता ने अपनी दलीलों में स्पष्ट रूप से कहा है कि न तो कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और न ही कोई जांच की गई।
6. दायर जवाब में, उपरोक्त कथन के संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। इसलिए, यह एक स्वीकारोक्ति है, हालांकि मौन, कि वास्तव में जांच नहीं की गई थी।
7. प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय के प्रश्न पर इस बात पर विवाद नहीं किया कि आरोपित आदेश पारित करने से पहले याचिकाकर्ता के विरुद्ध

कोई जांच नहीं की गई थी। हालांकि, उनका कहना है कि सरकार को हुए नुकसान या गबन या गबन के मामलों में विभाग को दोषी कर्मचारी से नुकसान की राशि वसूलने का अधिकार है।

8. सिद्धांत रूप में, मैं प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत हूं। लेकिन यदि ऐसी वसूली की भी जानी है, तो वह भी प्रक्रिया के नियमों के अंतर्गत ही होगी। निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना, प्रशासनिक आदेश मनमाने ढंग से पारित नहीं किए जा सकते, वह भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए, दोषी कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर दिए बिना।

9. न तो याचिकाकर्ता को कोई अवसर दिया गया और न ही अन्यथा उसके कथित अपराध के संबंध में कोई निष्कर्ष दर्ज किया गया, न ही यह ऐसा मामला है, जहां विभाग ने सीसीए नियमों के तहत उचित प्रक्रिया का पालन करके जांच करने का प्रयास किया।

10. इस संदर्भ में, याचिकाकर्ता का मामला पूरी तरह से ऊपर उल्लिखित खंडपीठ के फैसले के अंतर्गत आता है और याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा इस पर सही ढंग से भरोसा किया गया है।

11. इस आधार पर, संबंधित पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकीलों को सुनने के बाद, मेरा विचार है कि दिनांक 03.02.2022 का विवादित आदेश संधारणीय नहीं है।

12. परिणामस्वरूप, याचिका को अनिवार्य रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। दिनांक 03.02.2022 का विवादित आदेश (अनुलग्नक 4) विभाग को स्वतंत्रता देते हुए रद्द किया जाता है कि यदि वह चाहे तो कानून के अनुसार उचित नई कार्यवाही शुरू कर सकता है।

13. लंबित आवेदन(आवेदन), यदि कोई हों, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा), न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है )

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।